रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 260] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 8, 2016/श्रावण 17, 1938
No. 260] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 8, 2016/ SRAVANA 17, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2016

निर्णायक समीक्षा जॉच

विषय : चीनी ताइपेई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कॉस्टिक सोडा" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

फा.सं. 15/10/2016-डीजीएडी.—वर्ष 1995 में संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने दिनांक 31 मई, 2010 की अधिसूचना द्वारा थाईलैंड, चीनी ताईपेई और नार्वे के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कॉस्टिक सोडा" (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने के लिए पाटनरोधी जांच शुरू की थी। प्राधिकारी ने दिनांक 30 जून, 2011 के अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना संख्या 14/1/2010-डीजीएडी द्वारा उपरोक्त देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी और दिनांक 23 अगस्त, 2011 की सीमा-शुल्क की अधिसूचना संख्या 79/2011-सीमा-शुल्क द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक शुल्क लगाए गए थे। ये शुल्क 22 अगस्त, 2016 तक वैध हैं।

क. निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने का अनुरोध

2. यत: प्राधिकारी नियमावली के नियम 5 साथ पठित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1995 की धारा 9 क (5) के अनुसार उक्त अधिनियम के अंतर्गत लागू किए गए पाटन-रोधी शुल्क को जब तक पहले रद्द नहीं कर दिया जाता है और जब तक कि शुल्क की अवधि समाप्त होने से पहले शुरू की गई निर्णायक समीक्षा जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी यह निष्कर्ष नहीं दे देते हैं कि शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप पाटन और क्षति के निरंतर रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, ऐसे शुल्क उनको लागू किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के समाप्त होने तक प्रभावी होंगे। उपरोक्त के अनुसार प्राधिकारी को ऐसे उपाय की समाप्ति की तारीख से पहले पर्याप्त समय के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए विधिवत् प्रमाणित अनुरोध के आधार पर इस तथ्य की समीक्षा करनी अपेक्षित होती है कि क्या ऐसे शुल्क को समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप पाटन और क्षति के निरंतर रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

3. और यत: मेसर्ज अल्काली मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई) द्वारा भारत में संबद्ध वस्तुओं के 3 प्रमुख उत्पादकों नामत: मेसर्ज डीसीडब्ल्यू लिमिटिड, मेसर्ज मेसर्ज गुजरात अल्कालिज एंड केमिकल्स लिमिटिड और मेसर्ज ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटिड के साथ मिल कर संयुक्त रूप से एक याचिका दायर की गई है, जिसमें अधिनियम और नियमावली के अनुसार चीनी ताइपेई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कॉस्टिक सोडा" के आयात पर लागू पाटन-रोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने का अनुरोध, यह आरोप लगाते हुए किया गया है कि उपरोक्त देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के निरंतर पाटन होने अथवा उसकी पुनावृति होने तथा उससे घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना है।

ख. समीक्षा का आधार

4. पाटन-रोधी शुल्कों को निरंतर जारी रखते जाने का अनुरोध इस आधार पर किया गया है कि चीनी ताईपाई से संबद्ध वस्तुओं का निरंतर पाटन हो रहा है और उपाय की अवधि की समाप्ति के फलस्वरूप संबद्ध देश से पाटन के निरंतर जारी रहने तथा उसके और अधिक गहन होने तथा घरेलू उद्योग को उसकी परिणामी क्षति होने की संभावना है। आवेदकों ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी दावा किया है कि चीनी ताईपेई से निर्यातकों ने पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के तथ्य के बावजूद भी भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं का निरंतर पाटन किया है, हालांकि उसकी मात्रा कम है। इसलिए यदि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है, तो पाटन और भी गहन होगा।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

5. मूल जांच में उत्पाद के कार्य-क्षेत्र को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

"वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद,, सोडियम हाईड्रोक्साईड है, जिसे सामान्यतया कॉस्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है। कॉस्टिक सोडा को एनएओएच रसायन के रूप में भी जाना जाता है। कॉस्टिक सोडा साबुन युक्त मजबूत गंध रहित ऐसा तरल पदार्थ है, जिसका विविध औद्योगिक क्षेत्रों में या तो कच्चे माल के रूप में अथवा एक सहायक रसायन के रूप में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्टिक सोडा तरल या ठोस पदार्थ, दो रूपों में निर्मित किया जाता है। इसके ठोस पदार्थ का इस्तेमाल फ्लेक्स, प्रिल्स, दानेदार रूप में अथवा किसी अन्य रूप में हो सकता है। कॉस्टिक सोडा के सभी प्रकार वर्तमान जांच की विषय वस्तु है।

कॉस्टिक सोडा का उपयोग, गूदा और कागज, न्यूज प्रिंट्र, विस्कोस यार्न और स्टेपल फाईबर, एल्युमिनियम, सूती, वस्त्रों, शौचालय और धुलाई करने के साबुन, डिटरजेंटों, रंगाई करने के पदार्थों, औषधियों और फार्मेस्युटिकल्स, वनस्पति, पेट्रोलियम रिफाईनिंग आदि में किया जाता है।

कॉस्टिक सोडा एक इनआर्गेनिक रसायन है और इसको सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के उप-शीर्ष संख्या 2815 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। सीमा-शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।"

6. वर्तमान जांच के निर्णायक समीक्षा जांच होने के कारण विचाराधीन उत्पाद का कार्य-क्षेत्र वही रहेगा, जैसा कि मूल जांच में परिभाषित किया गया है।

7. याचिकाकर्ताओं ने यह निवेदन किया है कि उनके द्वारा विनिर्मित कॉस्टिक सोडा और संबद्ध देशों से निर्यातित कॉस्टिक सोडा, भौतिक और रसायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से समान वस्तु है। आयातित उत्पाद और घरेलू रूप से विनिर्मित उत्पाद, दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ता इन दोनों उत्पादों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं।

8. इस उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के उप-शीर्ष 2815.11 और 2815.12 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। आईटीसी के 8-अंकीय वर्गीकरण के अनुसार इस उत्पाद को सीमाशुल्क शीर्ष 2815.1101, 2815.1102 और 2815.1200 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

घ. घरेलू उद्योग

9. यह याचिका मेसर्ज अल्काली मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई) द्वारा भारत में संबद्ध वस्तुओं के 3 प्रमुख उत्पादकों नामत: मेसर्ज डीसीडब्ल्यू लिमिटिड, मेसर्ज मेसर्ज गुजरात अल्कालिज एंड केमिकल्स लिमिटिड और मेसर्ज ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटिड के साथ संयुक्त रूप से दायर की गई है। सहयोगी कंपनियों का उत्पादन, कुल भारतीय उत्पादन का प्रमुख भाग बनता है और उन्हें अल्काली विनिर्माताओं की एसोसिएशन का समर्थन प्राप्त है। इसलिए यह माना गया है कि आवेदन पत्र, घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से प्रस्तुत किया गया है तथा क्षति की जांच करने के प्रयोजनार्थ उपरोक्त सहयोगी कंपनियों को, पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग के रूप में माना गया है।

ङ. शामिल देश

10. शुल्क चीनी ताइपेई, नार्वे और थाईलैंड के विरुद्ध लागू किए गए हैं। तथापि, याचिकादाताओं ने अधिमानत: केवल चीनी ताईपाई के संबंध में ही ऐसे शुल्क को बढाए जाने का अनुरोध किया है। पाटन के निरंतर जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के लिए अन्य दो देशों के खिलाफ कोई मामला नहीं उठाया गया है। इसलिए इस निर्णायक समीक्षा जांच में केवल चीनी ताइपेई के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं पर लागू शुल्क को शामिल किया जाएगा तथा अन्य दो देशों पर लागू शुल्कों को समाप्त कर दिया जाएगा।

च. निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करना

11. प्राधिकारी समीक्षा करने की आवश्यकता को पर्याप्त रूप से प्रमाणित करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर स्वयं संतुष्ट होने पर, पाटन-रोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9-क (5) के अनुसार इसकी पुनरीक्षा करने के लिए कि क्या चीनी ताईपाई के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं पर सीमा-शुल्क विभाग की दिनांक 23 अगस्त, 2011 की अधिसूचना संख्या 79/2011-सीमा-शुल्क द्वारा लागू किए गए शुल्क को समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के निरंतर पाटन होने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होगी और क्या संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं पर लागू निश्चयात्मक शुल्क को निरंतर जारी रखने की आवश्यकता है, यह निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हैं।

छ. क्रियाविधि

12. इस निर्णायक समीक्षा जांच में चीनी ताईपाई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कॉस्टिक सोडा" के लिए दिनांक 30 जून, 2011 की अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना संख्या 14/1/2000-डीजीएडी के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा। इस समीक्षा जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि में अप्रैल, 2015 - मार्च, 2016 तक की जांच अवधि शामिल होगी। तथापि, क्षति की जांच के प्रयोजनार्थ वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 और जांच अवधि के आंकडों पर विचार किया जाएगा। इस समीक्षा जांच में उपरोक्त नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 30 के प्रावधान, आवश्यक संशोधनों सहित लागू होंगे।

ज. सूचना प्रस्तुत करना

13. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से संबद्ध सूचना प्रस्तुत करने तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग
कमरा नंबर 15, चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग,
नई दिल्ली - 110001

14. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत अपने निवेदन नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता। यदि कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय निवेदन करता है, तो ऐसे पक्षकार को उसके अगोपनीय वृतान्त, अन्य पक्षकारों को भी उपलब्ध कराने होंगे।

झ. समय-सीमा

15. वर्तमान जॉच से संबंधित कोई भी सूचना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित रूप में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

16. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरुआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपाय जारी रखने की जरूरत अथवा अन्यथा के बारे में घरेलू उद्योग की याचिका पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

ण. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

17. यदि प्रश्नावली के उत्तर/निवेदनों के किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा किया जाता है, तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) और (ख) अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना के प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।

18. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को, प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय वृतान्त और अगोपनीय वृतान्त की दो-दो (2) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

19. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाना क्यों संभव नहीं है।

20. अगोपनीय वृतान्त को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध/रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय वृतान्त की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश में पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत करना संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश प्रस्तुत करना क्यों सभव नहीं है।

21. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते है। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

22. सार्थक अगोपनीय वृतान्त के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ट. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

23. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है, जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय वृतान्त रखे गए हैं।

ठ. असहयोग

24. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

ए. के. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2016

Sunset Review Investigation

Subject: Initiation of Sunset Review of Anti-dumping Duty on Import of Caustic Soda originating in or exported from Chinese Taipei.

F. No. 15/10/2016-DGAD.—Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the Rules), the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) initiated an anti-dumping

investigation for imposition of anti-dumping duty on import of Caustic Soda (herein after referred to as the subject goods) originating in or exported from Thailand, Chinese Taipei and Norway, vide notification dated 31st May, 2010. Vide Final Finding Notification No. 14/1/2010 dated 30th June, 2011, the Authority recommended imposition of definitive antidumping duties on the imports of the subject goods originating in or exported from the above countries and vide Customs Notification No. 79/2011-Customs dated 23rd August, 2011, definitive duties were imposed for a period of five years. The duties are valid till 22nd August 2016.

A. Request for initiation of Sunset Review

2. Whereas, in terms of Section 9 A (5) the Customs Tariff Act, 1995, read with Rule 23 of the Rules, the antidumping duty imposed under the said Act shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, unless in a review, initiated before the expiry of the duty, the Designated Authority concludes that the cessation of the duties is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantial request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the date of the expiry of the measure, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

3. And Whereas a petition has been filed by the Alkali Manufacturers' Association of India (AMAI), along with 3 major producers of the subject goods in India, i.e., M/s DCW Ltd, M/s Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd. and M/s Grasim Industries Ltd., for initiation of sunset review of the anti-dumping duty in force on import of Caustic Soda originating in or exported from Chinese Taipei in accordance with the Act and the Rules, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the above goods, originating in or exported from the above country and consequent injury to the domestic industry.

B. Grounds for review

4. The request is for continuation of the antidumping duties in force based on the grounds that dumping of the subject goods has continued from Chinese Taipei and the expiry of the measure would be likely to result in continuation and intensification of dumping from that country and consequent injury to the domestic industry. The applicant has inter-alia claimed that the exporters from Chinese Taipei have continued to dump the goods in the Indian market, though at reduced volume, in spite of the fact that antidumping duty is in force. Therefore, dumping would be intensified should the present antidumping duty be revoked.

C. Product under consideration and like Article

5. In the original investigation, product scope has been defined as under:

"The product under consideration in the present investigation is Sodium Hydroxide generally known as caustic soda. Caustic soda is chemically known as NaOH. Caustic Soda is a soapy, strongly alkaline odorless liquid widely used in diverse industrial sectors, either as a raw material or as an auxiliary chemical. Caustic Soda is produced in two forms- lye and solids. Solids can be in the form of flakes, prills, granules or any other form. All form of caustic soda is subject matter of the investigation.

Caustic Soda is used in manufacture of pulp and paper, newsprint, viscose yarn and staple fiber, aluminium, cotton, textiles, toilet and laundry soaps, detergents, dyestuffs, drugs and pharmaceuticals, vanaspati, petroleum refining etc.

Caustic Soda is an inorganic chemical and is categorized under Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975 under sub-heading No. 2815. The classification is however indicative only and is not binding upon the scope of product under consideration.".

6. Present investigation being a sunset review investigation of the products under consideration would remain the same as has been defined in the original investigation.

7. Petitioners have submitted that the Caustic Soda produced by them are like article to the Caustic Soda imported from the subject countries in terms of physical and technical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the goods. The imported products and the domestically produced goods are technically and commercially substitutable, and consumers use them interchangeably.

8. The product is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975 under the customs heads 2815.11 and 2815.12. As per the ITC 8-digit classification the product is classified under the Custom Heading 2815.1101, 28151102 and 2815.1200.

D. Domestic industry

9. The petition has been filed by the Alkali Manufacturers' Association of India (AMAI) alongwith 3 major producers of the subject goods in India, i.e., M/s DCW Ltd, M/s Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd. and M/s Grasim Industries Ltd. The participating companies account for a major proportion of the domestic production of the subject goods and have the support of the association of the alkali manufacturers. Therefore, the application is deemed to have been made by or on behalf of the domestic industry and the above participating companies have been treated as the domestic industry under Rule 2(b) of the Antidumping Rules for the purpose of injury investigation.

E. Countries involved

10. The duties are in force against Chinese Taipei, Norway and Thailand. However, the petitioners have preferred this petition seeking extension of duty in respect of Chinese Taipei only. No case has been made out towards likelihood of continuation or recurrence of dumping from other two countries. Therefore, this sunset review will cover the duty in force on the subject goods originating in or exported from Chinese Taipei only and duties against other two countries would be allowed to lapse.

F. Initiation of Sunset Review

11. Having satisfied itself on the basis of the positive evidence submitted by the domestic industry, substantiating the need for a review, the Authority hereby initiates a review in accordance with Section 9A (5) of the Act read with Rule 23 of Antidumping Rules, to review whether revocation of the duty on imports of the subject goods originating in or exported from Chinese Taipei, imposed vide Customs Notification 79/2011- Customs dated 23rd August, 2011 shall lead to continuation or recurrence of dumping of the subject goods from the subject country and continution or recurrence of injury to the domestic industry and need for continued imposition of the definitive duty in force against the subject goods originating in or exported from the subject country.

G. Procedure

12. The review will cover all aspects of Final Finding Notification No.14/1/2010 dated 30th June, 2011 for Caustic Soda originating in or exported from Chinese Taipei. The period of investigation for the purpose of this review shall be from April 2015 –March, 2016 as the period of investigation (POI). However, for the purpose of injury investigation, the data of 2012-13, 2013-14, 2014-15 and the POI shall be considered. The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rule supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

H. Submission of Information

13. The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through its embassy/representatives in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority at the following address:

The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce
Room No. 15, 4th Floor Jeevan Tara Building, Parliament Street
New Delhi-110001

14. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

I. Time Limits

15. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-Dumping Rules.

16. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need for continuation, or otherwise, of the Anti-dumping measures, within 40 days from the date of initiation of this investigation.

J. Submission of information on confidential basis

17. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

18. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

19. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

20. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential, version with the confidential information preferably indexed or blanked out / summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

21. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

22. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof, or without a good cause statement on the confidentiality claim, may not be taken on record by the Authority. The Authority, on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

K. Inspection of public file

23. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

L. Non-cooperation

24. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

A. K. BHALLA, Addl. Secy. and Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.